न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
बी.पी.न0–239 / 2026
मांझी थाना कांड सं0–08 / 2020

संतोष राम **बनाम्** **बिहार राज्य**

19.03.2026 आवेदक अभियुक्त संतोष राम जो दिनांक–05.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन संख्या–239/2026, मांझी थाना कांड संख्या 08/2020, अंतर्गत धारा 399,402 भा0द0वि0 25(1-b)a,26,35 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

मामले में सूचक के अनुसार अभियुक्त पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2020 को समय 17:30 बजे सूचक को गुप्त सूचना मिला कि तीन लड़का जो हथियार के साथ मांझी थाना स्टेशन से कुछ दूरी पर बगीचे में बैठक कर अपराध करने कि योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन एवं जांच में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए सूचक पुलिस बल के साथ मांझी रेलवे स्टेशन के लिए समय 17:35 बजे थाना से प्रस्थान किया तो समय 17–45 बजे मांझी स्टेशन पहुंचा तथा स्टेशन से सटे कुछ दूरी पर स्थित बगीचा में पुलिस टीम के सहयोग से तलाशी लेने के दौरान सुनसान बगीचा में तीन लड़के को बैठा हुआ देखा तथा तीनों लड़के आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं जिन्हें पकड़ने के लिए घेराबंदी की योजना बना ही रहा था कि उन तीनों कि नजर पुलिस बल पर पड़ गई। तीनों लड़के अलग–अलग दिशा में भागने लगे जिन्हें पकड़ने के लिय पुलिस द्वारा पीछा किया गया एवं काफी लम्बी दूरी तक पीछा करने के दौरान एक लड़के को पकड़ने में सफलता मिली तथा दो लड़के घने बगीचे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़ाये हुए लड़के का नाम पता पूछने पर अपना नाम आकाश कुमार बताया तथा दोनों चौकीदार के समक्ष तलाशी के नियमों का पालन करते हुए आकाश सिंह के बदन का तलाशी लिया गया तो उसके पहने हुए जिन्स पैंट के अंदर खोसे हुए एक लोडेड देशी कट्टा एवं जिन्दा कारतूस बरामद किया एवं घ ाटनास्थल के पास से एक लोडेड देशी कट्टा जिसमें एक जिन्दा कारतूस का विधिवत जप्ती सूची तैयार किया गया जिस पर दोनों चौकिदार के द्वारा स्वेच्छा से अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिया। आकाश कुमार से भागने वाले दोनों लड़के का नाम पूछने पर बताया कि एक का नाम संतोष राम तथा दूसरे का नाम अनुज उपाध्याय बताया। पूछताछ के क्रम में बताया कि घटनास्थल से मिला हुआ देशी लोडेड कट्टा संतोष राम का है। आकाश कुमार से अपराध की योजना के संबंध में पूछने पर बताया कि मांझी थाना क्षेत्र में किसी बैंक से मोटी राशि निकाल कर ले जाने वाले व्यक्ति से राशि एवं उसके योजना बना रहे थे कि तभी पुलिस पहुंचकर पकड़ लिया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से एबीपी 2839/2022 दाखिल किया गया था जो खारिज हो चुका है उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के

समक्ष क्रि0मि0 नं0 46871/2023 दाखिल किया गया था वह भी खारिज हो चुका है। अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध दो प्राथमिकी संस्थित है। आवेदक का नाम सह–अभियुक्त अकाश कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। आवेदक को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही आवेदक के पास से कोई बरामदगी ही है। इसलिए आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त धारा नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मांझी थाना कांड संख्या 08/2020, अंतर्गत धारा 399,402 भा0द0वि0 25(1-b)a,26,35 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के कंडिका–78 में आवेदक के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदक के विरूद्ध दो प्राथमिकी संस्थित है। आवेदक दिनांक 05.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का नाम सह–अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक द्वारा कारित अपराध प्रकृति तथा न्यायिक अभिरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को निम्न शर्तों पर जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त संतोष राम को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर द0प्र0स0 की धारा 437(3) एवं 441(A) में उल्लिखित प्रावधानों एवं एक जमानतदार आवेदक का रक्त संबंधी होगा, **आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को विचारण के कम में न्यायालय में बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर सदेह उपस्थित रहेगा एवं विचारण में पूरा सहयोग करेगा,** के शर्तो के साथ नियमित जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।